न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 19/2010

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता स्वंय किस्तुरी देवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 किस्तुरी देवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 घड़सीराम पुत्र पोखर।
2 ओमप्रकाश पुत्र दुदाराम।
3 मोहरी देवी बेवाह दुदाराम।
4 रामप्रताप पुत्र दुदाराम।
5 श्रीचन्द पुत्र रामप्रताप समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6 विकास पुत्र राजेन्द्र जाट निवासी फदनपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 रामप्यारी पुत्री रामप्रताप पत्नी शिवकुमार जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल ससुराल गोडिया बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 सन्तोष पुत्री रामप्रताप पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल ससुराल भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

9 विमला पुत्री रामप्रताप पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल ससुराल भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

10 पटवारी हल्का बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

11 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भूमिधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बउनवानी
मुकदमा महेन्द्र आदि बनाम घड़सीराम आदि
मुकदमा नम्बर 101/2008 में पारित किया गया

उपस्थित

1. श्री अनिल कुमार भार्गव अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 11-01-19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 101/2008 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाके ग्राम भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 45,189,218,279,170 बाबत दावा बंटवारा उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती खाता प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 विकास की और से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार कर वाद वादी विचाराधीन निर्णय से खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय में यह अंकन कर दावा खारिज किया गया है कि धारा 88 में दावा लाने का अधिकार मात्र काश्तकार या उपकाश्तकार को ही है वादी इन दोनो की श्रेणी में नही आता है अत वाद को मेनटेबल नही मानकर खारिज किया गया है जो विधि विरूद्व है वाद की पोषणीयता आदेश 7 नियम 11डी में तय की जाती है पोषणीय नही पाये जाने पर वाद लौटाया जाता है खारिज नही किया जाता है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है विवादित भूमि का खातेदारों ने सहमती से विभाजन कर लिया अपीलांट ने उस विभाजन को चुनौति नही दी है अपीलांट को कोई वादकरण पैदा नही हुआ है। अपील खारिज की जायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विवेचन कर वादी का वाद मेनटेनेबल नही मानकर खारिज किया है जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में विधि द्वारा वर्जित होने पर वाद खारिज करने का प्रावधान है प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88,188 एवं धारा 125/136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है। यह वाद किस प्रकार विधि द्वारा वर्जित है यह विचारण न्यायालय ने विवेचित नही किया है अपीलांट विवादित भूमि पैतृक बताकर नोसनल शेयर की उदघोषणा का अनुतोष लेकर वाद लाया है जिसका निर्णय प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर, साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर विधि अनुसार प्रकिया अपनाकर निस्तारण करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

11.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर